केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली- 110032

सं. 14023011/मौ.पु.यो./2020-21/-490

दिनांक 14.03.2022

<u>परिपत्र</u>

विषय: हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2021"

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष-2021" के अंतर्गत दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित की गई हैं। "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष-2021" में केंद्र सरकार के कार्मिक (सेवानिवृत्त सहित) भाग ले सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

प्रथम पुरस्कार	-	1,00,000/-रू. प्रमाणपत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	-	75,000/- रू. प्रमाणपत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	-	60,000/- रू. प्रमाणपत्र तथा स्मृति चिह्न

सेवारत लेखकों के द्वारा उक्त योजना हेतु अपनी प्रविष्टि इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-1 सहित विभाग के अध्यक्ष के द्वारा सत्यापन एवं संस्तुति के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। सेवानिवृत्त लेखक अपनी प्रविष्टि प्रपत्र-1 एवं पीपीओ की छायाप्रति के साथ सीधे राजभाषा विभाग को भेज सकते हैं।

इस योजना की नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।

ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।

iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

iv) योजना के अंतर्गत 01.01.2021 से 31.12.2021 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

v) पुस्तक, विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी।

vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं अत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।

vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जायेगी।

viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो।

ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

xi) केवल वे पुस्तकें जिन पर ISBN होगा, उनको ही योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

प्रविष्टि भेजने की विधि:

i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यत: पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें। पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी।

iii) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है। प्रविष्टियां 15 अप्रैल, 2022 तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राजभाषा प्रभाग में पहुँच जानी चाहिए।

तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2021" में शामिल होने के लिए इस परिपत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र को भरकर 15 अप्रैल, 2022 तक राजभाषा प्रभाग को भेजें। इस योजना संबंधित विस्तृत विवरण राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर https://rajbhasha.gov.in/hi/official_pride_award_for_original_book_writing_plan लिंक पर देखा जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(अवधेश तिवारी)
सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं
प्रभारी-राजभाषा प्रभाग

संलग्नक : यथोपरि

वितरण:

1. सभी प्रभाग प्रभारी, मुख्यालय -कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी, परियोजना कार्यालय, के. प्र.नि.बो. -कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
3. प्रभाग प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग -कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के निजी सहायक -सादर सूचनार्थ।
5. सदस्य सचिव के प्रशा. अधि. -सादर सूचनार्थ।
6. सभी सूचनापट्ट

14-03-2022